	States/Union territoris	Seventh Plan		Eighth Plan
		Allocation	Released	Allocation
5.	Himachal Pradesh	1014	1348	1694
6.	Jammu & Kashmir	—	—	2185
7.	Karnataka	503	681	1927
8.	Kerala	313	474	758
9.	Madhya Pradesh	19907	23405	32666
10.	Maharashtra	4517	6061	9944
11.	Manipur	1251	1419	1903
12.	Orissa	9313	11498	16479
13.	Rajasthan	4725	5732	9297
14.	Sikkim	177	227	330
15.	Tamilnadu	676	911	1050
16.	Tripura	1081	1430	1766
17.	Uttar Pradesh	90	246	309
18.	West Bengal	2833	4042	5971
19.	A & N Islands	79	221	366
20.	Goa, Daman & Diu	35	37	126
	RESERVE	7000	—	—
	TOTAL	75600	84695	125000

बाल-श्रम का उन्मूलन

862. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री सत्यप्रकाश मालवीय:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने जिलों में बाल-मजदूरों की संख्या काफी अधिक है तथा यदि सरकार ने जिला स्तर पर बाल-श्रम के उनमूलन के लिए कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं और उसका अब तक क्या परिणाम रहा है;

(ख) बाल-श्रम के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कुछ राज्यों में खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए किसी योजना को अपनी मंजूरी दी है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाल-श्रम के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि क्या है और उक्त योजना कब से तथा किस प्रकार से लागू की जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने 100 ऐसे जिलों की पहचान की है जिनमें देश में बाल श्रम के मामले सबसे अधिक हैं। 100 जिलों की सूची विवरण में संलग्न है। **(नीचे दीखिए)** यह निर्णय लिया गया है कि जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए परियोजनाओं को इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत योजना के अनुसार शुरू किया जाएगा। इस

योजना के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बालकों को विशेष स्कूलों के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार तथा वजीफा प्रदान किया जाएगा। इन 100 जिलों के प्रमुखों की एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी है। संबंधित कलक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत योजना के आधार पर अपने संबंधित जिलों में परियोजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करें।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बाल श्रम मंत्री की अध्यक्षता में, गठित राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने बाल श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने, के संबंध में एक कार्य योजना अपनायी है। इस कार्य योजना को माननीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है। इस कार्य योजना में विशेष करके जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाई शामिल की गई है। संक्षेप में, इसके तहत बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्रयास को प्रभावकारी ढंग के कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं और योनजाओं को कार्यान्वयन स्तर—जिला स्तर पर अभिसारित करने की अपेक्षा की गई है। प्रस्ताव है कि सन् 2000 तक अनुमानतः 20 लाख बाल श्रमिकों को जोखिमकारी व्यवसायों से हटाया जाएगा। अनुमान है कि इस प्रयोजना के लिए 850 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोनजाएं चलाने के लिए चालू वर्ष हेतु 34.4 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम के अत्यधिक सकेन्द्रण सहित राज्य / जिलावार आंकड़े

राज्य	जिला	बाल श्रमिक
आन्ध्र प्रदेश	महबूबनगर	127141
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टुर	123438
आन्ध्र प्रदेश	करीमनगर	116945
आन्ध्र प्रदेश	कुर्यनूल	113630
आन्ध्र प्रदेश	अनन्थापुर	98800
आन्ध्र प्रदेश	ईस्टगोदावरी	97844
आन्ध्र प्रदेश	वेस्टकोदावरी	94155
आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	92992
आन्ध्र प्रदेश	नालगोंडा	92897
आन्ध्र प्रदेश	कैशाना	92044
आन्ध्र प्रदेश	छित्तर	88880
आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम	84298
आन्ध्र प्रदेश	विशाखा-पटनम	84191
आन्ध्र प्रदेश	स्रीकाकुलम	78133
आन्ध्र प्रदेश	निजामावाद	76411
आन्ध्र प्रदेश	मडक	74859
आन्ध्र प्रदेश	खमाम	73408
आन्ध्र प्रदेश	अदिलावाद	171311
आन्ध्र प्रदेश	कुड्डापाह	68252
आन्ध्र प्रदेश	विजयनगरम	65254
आन्ध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	61106
आन्ध्र प्रदेश	नेल्लोर	60884
कुल (आन्ध्र प्रदेश)		1936873

राज्य	जिला	बाल श्रमिक
बिहार	सिवान	153319
बिहार	सन्थाल परगना	105676
बिहार	रांची	100422
बिहार	पुरनिया	94761
बिहार	सिंहभूमि	72139
बिहार	सहरसा	68821
बिहार	मुंगेर	48095
कुल (बिहार)		643233
गुजरात	पंचमहल	81770
गुजरात	सूरत	54772
कुल (गुजरात)		136542
कर्नाटक	धारवाड़	113556
कर्नाटक	गुलबर्ग	102801
कर्नाटक	बेलगाम	94667
कर्नाटक	विजापुर	88848
कर्नाटक	रायचुर	79316
कर्नाटक	बंगलौर	79082
कर्नाटक	मैसूर	69721
कर्नाटक	चित्रदुर्ग	67418
कर्नाटक	बेल्लेरी	62373
कर्नाटक	कोलर	59731
कर्नाटक	तूमकुर	53317
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	50579
कुल (कर्नाटक)		921409
मध्य प्रदेश	बस्तर	111944
मध्य प्रदेश	रायपुर	111197
मध्य प्रदेश	सरगुजा	77855
मध्य प्रदेश	बिलासपुर	76005
मध्य प्रदेश	राजानंद गांव	64816
मध्य प्रदेश	वेस्ट निमार	63640
मध्य प्रदेश	रायगढ़	63406
मध्य प्रदेश	मंडला	61876
मध्य प्रदेश	झबुआ	58486
मध्य प्रदेश	दुर्ग	56813
मध्य प्रदेश	बेतुल	53624
मध्य प्रदेश	छिदवाड़ा	52551
कुल (मध्य प्रदेश)		852213
महाराष्ट्र	नानदेड	114287
महाराष्ट्र	परआनी	101326
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	94658
महाराष्ट्र	धुले	94285

राज्य	जिला	बाल श्रमिक
महाराष्ट्र	ओस्मानाबाद	87611
महाराष्ट्र	याबातमल	81800
महाराष्ट्र	अहमदनगर	79289
महाराष्ट्र	नासिक	77119
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	72585
महाराष्ट्र	सोलापुर	69572
महाराष्ट्र	बुलदाना	68643
महाराष्ट्र	अकोला	65401
महाराष्ट्र	जलगांव	63725
महाराष्ट्र	बिड	60969
महाराष्ट्र	पुणे	57624
महाराष्ट्र	थाणे	54092
महाराष्ट्र	अमरावथी	52507
कुल (महाराष्ट्र)		1295493
उड़ीसा	कोरापुट	125132
उड़ीसा	गंजाम	96638
उड़ीसा	कालाहण्डी	68275
उड़ीसा	सम्बलपुर	67275
उड़ीसा	मयूरभंज	61947
उड़ीसा	जालंगीर	48688
कुल (उड़ीसा)		467955
राजस्थान	जयपुर	59122
राजस्थान	उदयपुर	53567
(कुल राजस्थान)		112689
तमिलनाडु	मदुरई	107815
तमिलनाडु	नॉर्थ आर्कोट अम्बेदकर	103487
तमिलनाडु	सलेम	102479
तमिलनाडु	रामानंधापुरम	83501
तमिलनाडु	साऊथ आर्कोट	80918
तमिलनाडु	तिरूनेलवेल्ली-कट्टावोम	78213
तमिलनाडु	धरमापुरी	74064
तमिलनाडु	कोयम्बटूर	68847
तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	67533
तमिलनाडु	पेरियार	61676
तमिलनाडु	छेंगलपट्टू [illegible] आर	53314
कुल (तमिलनाडु)		881847
उत्तर प्रदेश	देवरिया	88429
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	68960
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	50510

राज्य	जिला	बाल श्रमिक
उत्तर प्रदेश	बस्ती	48920
कुल (उत्तर प्रदेश)		256819
पश्चिम बंगाल	24 परगना	82165
पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	64319
पश्चिम बंगाल	वेस्ट दिजापुर	51741
पश्चिम बंगाल	मुर्शिदावाद	50974
पश्चिम बंगाल	वर्द्धमान	50646
कुल (पश्चिम बंगाल)		299845
कुल 100 जिले		7804918

गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर रोक

863. **श्री राघवजी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर कोई रोक लगाई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या देश के भिन्न-भिन्न राज्यों ने गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर राज्य-स्तरीय कोई रोक लगाई है; यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा कब से ऐसी रोक लगाई गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

Formation of committees by Tobacco Board

864. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Tobacco Board is empowered to form various committees to cater to its different interests;

(b) whether there is any proposal to expand the role of the Tobacco Board through such committees; and

(c) what steps are proposed to expand the role of the Tobacco Board to assist farmers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Board is empowered to appoint such committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under section 7 of the Tobacco Board Act.

(b) No, Sir.

(c) Steps taken by the Tobacco Board to assist farmers include inter-alia;

(i) Planning and regulation of production of tobacco to match demand and supply;

(ii) implementing various developmental and extension schemes to improve the quality and yield of tobacco;

(iii) conducting auctions to ensure accurate weighment, classification and competitive prices;

(iv) negotiating with tobacco trade for fixation of Minimum Guaranteed Prices for Flue Cured Virginia Tobacco; and

(v) advising farmers through training programmes/meetings publicity to adopt improved varieties and package of practices recommended by the Central Tobacco Research Institute.

बाल-श्रमिकों के लिए विशेष योजना

865. **श्री सोम पाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल-श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और उसे क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये गए हैं;